न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–84 सन् 2020

रामचंद्र सिंह.....वादी।

बनाम

सुजीत कुमार सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–21.11.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 वो भी दफा 151 सी0 पी0 सी0 दाखिल आवेदन दिनांक– 11.09.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रार्थना किया है कि वाद चलने के दरम्यान गांव में अफवाहन जानकारी मिली की प्रतिवादी सं0 01 सुजीत कुमार सिंह ने इस वाद को दाखिल करने के पूर्व ही 01 कठा भूमि जो वादी की खरीदगी भूमि है उसे श्रीमती शारदा देवी पति–सुरेन्द्र सिंह को बेच दिया है उसे पोसिदा रखा। जिसकी अफवाहन जानकारी होने पर वादी ने निबंधन कार्यायल से पता लगाकर उसका बजाप्ता नकल दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त किया तथा उसे पढ़वाकर समझा तो कुल फरेब प्रतिवादी की जानकारी हुई। जिसके संबंध में इस वाद वाद में उक्त दस्तावेज दिनांक 02.07.2019 के खिलाफ परितोष मांगना तथा उसके केता को इस वाद में पक्षकार बनाना तथा उस दस्तावेज के संपत्ति को इस वाद में सम्मिलित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी की ओर से दाखिल मरम्मती आवेदन को स्वीकार करते हुए वादपत्र में मरम्मती करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक–29.09.2023 को दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि प्रतिवादी की ओर से उक्त तथाकथित बैनामा का जिक किया है वह वाद दाखिल करने के पूर्व ही विक्रय किया गया है। वादी मरम्मती के माध्यम से नया वाद लाना चाहते हैं। वादी का मरम्मती आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः वादी की ओर से दाखिल मरम्मती आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अर्जीदावी में संशोधन करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि वाद चलने के दरम्यान गांव में अफवाहन जानकारी मिली की प्रतिवादी सं0 01 सुजीत कुमार सिंह ने इस वाद को दाखिल करने के पूर्व ही 01 कठा भूमि जो वादी की खरीदगी भूमि है, उसे श्रीमती शारदा देवी पति–सुरेन्द्र सिंह को बेच दिया है, जिसकी अफवाहन जानकारी होने पर वादी ने निबंधन कार्यायल से पता लगाकर उसका बजाप्ता नकल दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त किया तथा उसे पढ़वाकर समझा तो कुल फरेब प्रतिवादी की जानकारी हुई। जिसके संबंध में इस वाद वाद में उक्त दस्तावेज दिनांक 02.07.2019 के खिलाफ परितोष मांगना तथा उसके केता को इस वाद में पक्षकार बनाना तथा उस दस्तावेज के संपत्ति को इस वाद में सम्मिलित करना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है। वादी की ओर से उक्त संशोधन आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादपत्र में संशोधन करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 11.09.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें। प्रतिवादी उक्त संशोधन आवेदन को आलोक अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल करने को स्वतंत्र होंगे।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतुं ।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।